बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। आदेश ।।

आदेश संख्या 3/एम0 54/2015(खण्ड)सा0प्र0 1427 पटना–15, दिनांक 30-1-18

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक– 10000 दिनांक– 10.07.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही, संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका 3(1) के प्रावधान के तहत पथ निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित पद को संकल्प ज्ञापांक– 10000 दिनांक– 10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है :

क्र0 सं0	**विभाग का नाम**	**विभागीय संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पद।**
1.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	(i) उच्च माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (ii) क्षेत्रीय कार्यालयों/आवासीय विद्यालयों के लिपिक।

3. उपरोक्त पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक– 10000 दिनांक– 10.07.2015 में निहित शर्त्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इस पद पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

30/1/18

(एम0 एस0 अंसारी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 3/एम0–54/2015(खण्ड)सा0प्र0 1427 /पटना–15, दिनांक– 30-1-2018

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (ई- गजट प्रशाखा) को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

30/1/18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 3/एम0 54/2015(खण्ड)सा0प्र0 1427 /पटना 15, दिनांक 30-1-2018

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार, पटना; सभी प्रधान सचिव/सचिव; सभी विभागाध्यक्ष; सभी प्रमंडलीय आयुक्त; सभी जिला पदाधिकारी; को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/18

सरकार के अवर सचिव।